**[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशनार्थ]**

**भारत सरकार**
**वित्त मंत्रालय**
**(राजस्व विभाग)**
**केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड**

**अधिसूचना सं-2/2021 - एकीकृत कर**

**नई दिल्ली, तारीख 1 जून, 2021**

सा. का. नि. ............ (अ)- सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.06/2017- एकीकृत कर, दिनांक 28 जून 2017, जिसे सा.का. नि. 698 (अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् –

उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में प्रथम परंतुक में, -

(i) शब्दों, अक्षरों और अंकों "जिनको प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन जो स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविवष्ट में निर्दिष्ट कर अवधि की उक्त विवरणी को नियत तारीख तक, देय कर के भुगतान के साथ, प्रस्तुत नहीं करते है", के स्थान पर, शब्दों "जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविवष्ट में निर्दिष्ट कर अवधि के लिए नियत तारीख तक, कर का भुगतान करने में विफल रहते है" को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ii) तालिका में स्तंभ (4) के शीर्षक में, "कर अवधि" शब्दों, के स्थान पर, "माह/ तिमाही" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(iii) निम्नलिखित को तालिका में क्र.सं. 4,5,6 और 7 में प्रतिस्थापित किया जायेगा,

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| “4 | करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो | नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत, उसके बाद 18 प्रतिशत | मार्च 2021, अप्रैल 2021 और मई 2021 |
| 5 | करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं | नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पैंतालीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत | मार्च 2021 |
| | | नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले तीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत | अप्रैल 2021 |
| | | नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत | मई 2021 |
| 6 | करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं | नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पैंतालीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत | मार्च 2021 |
| | | नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले तीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और | अप्रैल 2021 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | उसके बाद 18 प्रतिशत | |
| | | नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत | मई 2021 |
| 7 | करदाता जो धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं | नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पैंतालीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत | तिमाही जो मार्च 2021 को समाप्त हो रही है "। |

2. इस अधिसूचना को मई, 2021 के 18वें दिन से लागू माना जाएगा ।

[फा. सं. सीबीआईसी -20001/5/2021]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: मूल अधिसूचना सं॰ 06/2017, दिनांक 28 जून 2017 को सा.का.नि. 698 (अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसका आखिरी बार संशोधित अधिसूचना सं॰ 01/2021- एकीकृत कर, दिनांक 01 मई 2021, जिसे सा.का.नि. 311 (अ), दिनांक 01 मई 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है ।